विवेकानन्द विद्यापीठ

आदर्श आवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

रामकृष्ण परमहंस नगर
कोटा, रायपुर – 492 010 (छ. ग.)
e-mail : vvr1929@gmail.com
website : www.vivekvidya.ac.in

छात्रावास में प्रवेश के नवीनीकरण हेतु आवेदन–पत्र (सत्र–2020–21)

छात्र का नवीनतम फोटोग्राफ

1. छात्र का नाम : ——————————————————————————
2. पिता का नाम : ——————————————————————————
3. माता का नाम : ——————————————————————————
4. जन्मतिथि : ———————— (शब्दों में) ————————————————
5. छात्र का आधार नम्बर : ——————————————————(छायाप्रति संलग्न करें)।
6. छात्र किस कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है : ——————— छात्र का मोबाईल नं. : ————————————
7. पूर्व वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण : उत्तीर्ण कक्षा —————————— शैक्षणिक सत्र ————————
   पूर्व परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत ————— (सत्यापित अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें)
   (जनरल प्रमोशन के कारण इस वर्ष अंकसूची संलग्न करना आवश्यक नही है।)
8. विशेष योग्यता (जैसे राष्ट्रीय खिलाड़ी, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज आदि) : ———————
9. जाति : —————————— उपजाति : ————————वर्ग (टिक करे) (अनुसूचित जाति ☐ / अनुसूचित जनजाति ☐) (अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति–प्रमाण–पत्र संलग्न करें।)
10. पिता का व्यवसाय : ——————————————— पिता की वार्षिक आय : ——————————
11. माता का व्यवसाय : ——————————————— माता की वार्षिक आय : ——————————
12. माता-पिता की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय : ——————————————(आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
13. स्थायी पता : ——————————————————————————————————
    ——————————————————————————————————————
    1. पालक का व्हाट्सएप नं. : ——————————————— 2. मोबाइल नं. : ——————————
    3. ई–मेल आई.डी. : ——————————————— 4. आधार नं. : ——————————
14. पत्र–व्यवहार का पता : ——————————————————————————————
    ——————————————————————————————————————
15. स्थानीय अभिभावक का नाम : —————————————— छात्र से उनका संबंध : ——————
    स्थानीय अभिभावक का पता : ——————————————————————————————
    व्यवसाय : ——————————————————— आधार न.: ——————————————
    व्हाटसएप नं.: ——————————————————— मोबाइल नं. : ——————————————

छात्र का हस्ताक्षर

छात्र की घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य है। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। मैंने छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है और मैं उक्त नियमों का पूर्णतः पालन करूँगा। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते हैं या मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से अनुशासन का उल्लंघन किया जाता है तो शाला-प्रबंधन को मेरा प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

छात्र का हस्ताक्षर

पालक की घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते हैं या छात्र किसी प्रकार की अनुशासनहीनता करता है तो शाला-प्रबंधन को मेरे पाल्य का प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

पालक का नवीनतम फोटोग्राफ

पालक का हस्ताक्षर

पालक का नाम ———————————————

छात्र से सम्बन्ध ———————————————

स्थानीय अभिभावक की घोषणा

मैं श्री ————————————————— के पुत्र चि. ————————————————— का स्थानीय अभिभावक होना स्वीकार करता/करती हूँ । आवश्यकता पड़ने पर मैं छात्र की पूर्ण जिम्मेदारी लूंगा/लूंगी ।

स्थानीय अभिभावक का नवीनतम फोटोग्राफ

स्थानीय अभिभावक का हस्ताक्षर

नाम : ———————————————

छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियम

1. छात्रावास में प्रवेश केवल एक ही शिक्षण–सत्र के लिए होगा। पात्र छात्रों को छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रतिवर्ष आवेदन करना होगा। छात्रावास में प्रवेश का नवीनीकरण विगत वर्षो में छात्र द्वारा किये गये आचार–व्यवहार के आधार पर किया जावेगा।
2. नवीनीकरण हेतु निर्धारित आवेदन पत्र ' लॉकडाउन ' समाप्त होने की अवधि के पश्चात विद्यालय से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया एवं जमा किया जा सकता है। इसे विद्यालय के वेबसाइट www.vivekvidya.ac.in से भी 'डाउनलोड' किया जा सकता है तथा व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है।
3. छात्रों को विद्यालय परिसर में रहना आवश्यक है। विद्यालय परिसर में उन्हें निर्धारित गणवेश में रहना होगा।
4. पालक अपने पाल्य से केवल रविवार को अपराह्न 1 से 5 बजे तक मिल सकते हैं। मिलते समय पाल्य को व्यक्तिगत रूप से खाने-पीने की वस्तुयें देना मना है।
5. छात्र से मिलने वाले 2 लोगो का नाम पता व मोबाईल न. एवं फोटो फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यदि अन्य व्यक्ति छात्र से मिलना चाहे तो छात्रावास अधीक्षक/प्राचार्य की अनुमति आवश्यक होगी। पालक यदि प्राचार्य/शिक्षक से मिलना चाहे तो वे केवल कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में ही मिल सकेंगे। रविवार को दोपहर 1.30 से 4.30 बजे तक छात्रावास अधीक्षक उपलब्ध रहेंगे।
6. पालकों का छात्रावास में प्रवेश वर्जित है। वे अपने पाल्य से निर्धारित स्थल पर मिल सकेगे।

कमश :03

7. रायपुर से बाहर रहने वाले पालकों को आवेदन-पत्र में स्थानीय पालक का नाम , पूर्ण पता तथा मोबाइल नम्बर देना आवश्यक है जो आवश्यकता पड़ने पर छात्र की पूर्ण जिम्मेदारी ले सके। चयनित छात्रों के प्रवेश के समय पालक एवं स्थानीय अभिभावक को विद्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक है।
8. यदि किसी छात्र/पालक/स्थानीय अभिभावक के पते अथवा फोन नम्बर में परिवर्तन होता है तो उनको प्राचार्य-कार्यालय में तत्काल सूचना देना अनिवार्य है।
9. छात्रों के लिए विद्यापीठ–परिसर में मल्टीमिडिया मोबाइल/स्मार्ट फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। वे आवश्यक होने पर केवल छात्रावास में की–पेड (सामान्य) मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे। यदि छात्रों के पास मल्टी–मिडिया मोबाइल पाया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जावेगा तथा छात्र को वापस नही किया जावेगा एवं उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। विद्यालय एवं स्वाध्याय की अवधि में मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
10. विद्यापीठ में घोषित अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा अवकाश छात्रों को नहीं मिलेगा। अवकाश पर जाते समय छात्र अपने पालक अथवा अधिकृत व्यक्ति के साथ ही जा सकेंगे। छात्र को अकेले घर जाने की अनुमति नहीं होगी।
11. छात्रों को विद्यापीठ द्वारा निर्धारित दिनचर्या जैसे – प्रातः एवं सन्ध्या प्रार्थना, खेलकूद, विद्यालय तथा स्वाध्याय की कक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य है।
12. पालकों को अपने पाल्य की शैक्षणिक प्रगति तथा आचार-व्यवहार आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर जानकारी लेते रहना चाहिए। विद्यालय में आयोजित पालक–शिक्षक की बैठकों में पालकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
13. वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही छात्रों को आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जावेगा। वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने, परीक्षाफल में 'पूरक' की पात्रता होने पर या 'द' ग्रेड मिलने पर उन्हें अगले वर्ष पुनः शाला में प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा।
14. विद्यालय से छात्रों के उपयोग के लिये बहुत सी सामग्रियाँ दी जाती हैं। कुछ छात्र उन सामग्रियों को असमय में ही नष्ट कर देते हैं या गुमा देते हैं। ऐसे सामग्रियों की प्रतिपूर्ति पालकों को तत्काल करनी होगी। इसी प्रकार यदि छात्र द्वारा विद्यापीठ–परिसर में स्थित भवनों को अथवा विद्यापीठ की सामग्रियों को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसके सुधार हेतु व्यय की गयी राशि का भुगतान पालकों को करना होगा।
15. बिना अनुमति के छात्र विद्यापीठ–परिसर से बाहर नहीं जा सकेंगे।
16. समय-समय पर विद्यापीठ में परिवर्तित/संशोधित तथा अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
17. विद्यापीठ में बीमार बच्चों के लिए केवल प्राथमिक उपचार की सुविधा है। बीमार होने की स्थिति में बच्चों के देखभाल और चिकित्सा की पूरी जिम्मेदारी पालक/स्थानीय अभिभावक की होगी।
18. विद्यापीठ–परिसर में रहते हुए विद्यार्थी खेलकूद, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो संस्था उसके लिए उत्तरदायी नहीं रहेगी।
19. संस्था में प्रवेश लेने के उपरान्त विद्यार्थी को विद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। विद्यालय में प्रवेश लिया हुआ छात्र विशेष परिस्थितियों में, यदि आवश्यक हो, तो कारण बताकर, केवल पाँचवी, आठवीं, और दसवीं कक्षाओं को उत्तीर्ण करने के तत्काल बाद ही विद्यालय छोड़ सकते हैं। अन्य कक्षाओं में विद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।
20. छात्र द्वारा विद्यापीठ के नियमों का उल्लंघन करने या किसी प्रकार की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने पर विद्यालय द्वारा छात्रों को किसी भी समय एवं किसी भी कक्षा से निकाला जा सकता है। अनुशासनहीनता के कारण छात्र यदि विद्यालय से निष्काषित किया जाता है, तो उसका उल्लेख उसके स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र/चरित्र प्रमाण–पत्र में किया जाएगा।
21. विद्यालय स्वच्छता–अभियान हेतु समर्पित है। छात्रों को विद्यालय, छात्रावास एवं संस्था परिसर को स्वच्छ रखने की जवाबदारी होगी तथा यह छात्रों की दिनचर्या का एक अंग होगा। अन्यथा स्थिति में विद्यालय प्रबंधन द्वारा की गयी कोई भी कार्यवाही छात्र/पालक को मान्य होगी।

कमश :04

22. छात्रों को अपने पास 4 पासपोट साईज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति छात्रावास में आवश्यक रूप से रखना होगा, ताकि आवश्यकता होने पर उनसे तत्काल प्राप्त किया जा सके।

23. **आवेदन पत्र दिनांक 15/05/2020 के भीतर कक्षावार व्हाटसप ग्रुप में अथवा विद्यालय की ई–मेल आईडी – vvr1929@gmail.com में प्रेषित किया जाना आवश्यक है। लॉकडाउन समाप्त होने की स्थिति में आवेदन–पत्र कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में अंतिम तिथि के पूर्व जमा किया जा सकता है। व्हाटसप या ई–मेल द्वारा नवीनीकरण का आवेदन–पत्र भेजे जाने की स्थिति में प्रवेश के समय मूल आवेदन–पत्र की प्रति लाना आवश्यक होगा अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जाएगा।** नवीनीकरण हेतु चयनित छात्रों की अस्थायी सूची दिनांक 25/05/2020 को जारी की जावेगी, जिसे व्हाटसएप एवं विद्यापीठ के वेबसाइट में भी प्रसारित किया जावेगा। चयनित छात्रों की सूची विद्यालय के सूचना–फलक पर भी लगा दी जाएगी। इसके लिए विद्यार्थियों को अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी। उन्हें स्वयं अपने नवीनीकरण प्रवेश के संबंध में पता करना होगा। सूची में उल्लेखित छात्रों को निम्नानुसार तिथियों में प्रवेश हेतु अपने पालक एवं स्थानीय अभिभावक के साथ उपस्थित होना आवश्यक है –

कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं	: मंगलवार, दिनांक 16.06.2020 प्रातः 11.30 बजे से शाम 03.00 बजे
कक्षा नवमीं एवं दसवीं	: बुधवार, दिनांक 17.06.2020 प्रातः 11.30 बजे से शाम 03.00 बजे तक
कक्षा छठवीं से आठवीं	: गुरूवार, दिनांक 18.06.2020 प्रातः 11.30 बजे से शाम 03.00 बजे
कक्षा चौथी से पाँचवी	: शुक्रवार, दिनांक 19.06.2020 प्रातः 11.30 बजे से शाम 03.00 बजे

उक्त तिथियों में छात्र के साथ पालक और स्थानीय अभिभावक की उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में छात्र का प्रवेश नवीनीकरण निरस्त माना जावेगा।

प्राचार्य

संयुक्त घोषणा

हमने उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक 1 से 23 में दर्शित छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। हम विद्यापीठ द्वारा निर्धारित नियम एवं दिनचर्या का पूरी तरह पालन करेंगे।

छात्र का हस्ताक्षर   स्थानीय अभिभावक का हस्ताक्षर   पालक का हस्ताक्षर

<u>छात्र से मिलने वाले अन्य 2 लोगो का विवरण</u>

छात्र से मिलने वाले व्यक्ति का नवीनतम फोटोग्राफ	नाम –––––––––––––––– छात्र से संबंध –––––––––––– पता –––––––––––––––– –––––––––––––––––––– मोबाइल नं. ––––––––––––	छात्र से मिलने वाले व्यक्ति का नवीनतम फोटोग्राफ	नाम –––––––––––––––– छात्र से संबंध –––––––––––– पता –––––––––––––––– –––––––––––––––––––– मोबाइल नं. ––––––––––––

संयुक्त घोषणा

मैं –––––––––––––––––––––––––––––– छात्र ––––––––––––––––––––––––––––––
कक्षा ––––––––––––का पालक होने के नाते उपरोक्त 2 व्यक्तियों को छात्र से मिलने की अनुमति देता हूँ। उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा विद्यापीठ परिसर में नियमों का पूर्ण पालन किया जावेगा। उपरोक्त दर्शित हम दोनों व्यक्ति घोषणा करते हैं कि हमारे संबंध में उपरोक्त दर्शित जानकारी सही है और हमारे द्वारा छात्र से मिलते समय विद्यापीठ द्वारा निर्धारित नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा।

पालक का हस्ताक्षर   छात्र से मिलने वाले अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर   छात्र से मिलने वाले अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर